दिनांक 27.08.2020
प्रेस विज्ञप्ति 35/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्यवाही करने के दिये निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 16.08.2020 से **01 माह का विशेष अभियान** चलाकर अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुण्ड़ा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल–अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण की धारा 14(1)गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके कम में दिनांक 26.08.2020 तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैं:–

1.	अवैध शराब/तस्करी में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही/गिरफ्तारी की संख्या	4751
2.	अवैध शराब/तस्करी के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	63
3.	संयुक्त चेकिंग टीम द्वारा चेक की गयी दुकानों की संख्या	12861
4.	चेकिंग के पश्चात की गयी कार्यवाही की संख्या	2551

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:–

- चालान किये गये वाहनों की संख्या – 3570985
- सीज किये गये वाहनों की संख्या – 69765
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** – **69,75,88,709**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 205399
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 831

एसटीएफः हत्या के अभियोगों में वांछित चल रहे रू0 50—50 हजार के 03 इनामी अपराधियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 26—08—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली देहात व थाना ककोड, जनपद बुलन्दशहर के अलावा हरियाणा के थाना पलवल की हत्या के अभियोगों में वांछित चल रहे रू0 50—50 के इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1—अमित जाट पुत्र राजेन्द्र निवासी धनौरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
2—जय कुमार उर्फ जैका पुत्र इन्द्रपाल निवासी धनौरा थना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
3—सोनू उर्फ प्रमोद पुत्र होशियार सिंह नि0 जमालपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों से बरामदगी—

1—01 मोबाईल सैमसंग जे—4
2—03 फर्जी नाम पते के आधार कार्ड।
3—01 जिओ कम्पनी का डोंगल

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 26—08—2020 समयः 18.20 बजे, दिल्ली—करनाल बाईपास रोड थाना क्षेत्र समयपुर बादली, दिल्ली

पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ, संगठित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, मेरठ द्वारा एसटीएफ टीम नोएडा को अभिसूचना संकलन हेतु निर्देषित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम जाडौल के ग्राम प्रधान संजय की हत्या के केस में वांछित चल रहे रू0 50—50 के इनामी अपराधी अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त दिल्ली—करनाल बाईपास रोड, दिल्ली से कहीं जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री अक्षय त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करने हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित जाट उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है तथा 12वीं तक पढा है। वर्ष 2005 में जब वह नाबालिग था तब उसके गांव धनौरा में आपसी रंजिश में गांव के नीरज की हत्या हुई थी जिसमें 09 लोग नामजद हुए थे जिनमें उसका व उसके पिता राजेन्द्र का नाम भी था। इस केस में अमित जाट 02 साल की सजा काटकर बाहर आया था और बाद में उसके पिता राजेन्द्र को आजीवन कारावास हो गया था जो अभी भी जेल में हैं। अमित जाट ने बताया कि बाद में उसकी माता व मामा की हत्या हो गयी थी जिसमें संजय प्रधान, बिल्लू जडौली, आकाश, सतेन्द्र जडौली शामिल थे इस रंजिश के चलते संजय प्रधान निवासी जाडौल, बुलन्दशहर की हत्या करके बदला लिया गया था। इस हत्या काण्ड में अमित जाट के साथ जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद, अंकित उर्फ विकास एवं रवि प्रधान निवासी मऊ थाना खैर अलीगढ सम्मिलित थे। मुखबिरी कपिल टोपी द्वारा की गई थी। इस हत्या के लिए कारतूस बुलन्दशहर के एक सुशील गन हाउस अनुपशहर से लिए गये थे। हत्या की इस घटना के सम्बन्ध में

थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0: 501/20 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी, 34 भादवि पंजीकृत है जिसमें अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद फरार चल रहे थे और तीनों पर रू0 50—50 हजार को इनाम पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के द्वारा दिनांक 11—07—2020 को घोषित हो रखा था।

इसके अतिरिक्त गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से बताया कि विपक्षी बिल्लू जडौली और अन्य विपक्षीगण की हत्या करने हेतु दिल्ली के बुराडी क्षेत्र में वह तीनों छिपकर रह रहे थे। बताया कि जय कुमार उर्फ जैका की मृतको से कोई रंजिश नहीं थी वह केवल दोस्ती के कारण साथ में रहता था। घटना में इस्तेमाल स्कार्पियो गाड़ी अंकित उर्फ छोटू निवासी गुडगांव, हरियाणा लेकर आया था जिसपर एक फर्जी नम्बर लगा हुआ था। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वह तीनों बुलन्दशहर जेल में मिले थे और तभी से तीनों में दोस्ती है। इसके अतिरिक्त सोनू उर्फ प्रमोद की भी उसके गांव में रंजिश चल रही है जिसमें उसके पिता की हत्या पुलिस अभिरक्षा में हो गयी थी। अमित जाट व सोनू उर्फ प्रमोद एक दूसरे के विपक्षीगण को मारने में एक—दूसरे की मदद करे रहे थे।

अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर की गई हत्या की अन्य प्रमुख घटनाओं का विवरण निम्नवत् है:—

दिनांक 17—05—2005 को अमित जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव के काली चरण की पत्नी सिंघारी देवी तथा नीरज पुत्र आनन्द जोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 21/05 धारा 147/148/149/452/302 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें वह जेल गया था और घटना के समय नाबालिग होने के कारण दो साल की सजा काटकर बाहर आया था ।

दिनांक 10—01—2009 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव धनौरा के ही सुनील पुत्र भूरे लाल जाटव की अपहरण करके हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 22/09 धारा 364/302/120बी भादवि एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पजींकृत हुआ था, जिसमें भी वह जेल गया था।

दिनांक 17—03—2014 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव में ही रविन्द्र पुत्र बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर अ0सं0 57/14 धारा 302/120बी/34 भादवि दर्ज हैं, इस अभियोग में भी वह जेल गया था ।

दिनांक 20—05—2020 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही गॉव के काली चरण की गोली मारकर हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 104/20 धारा 302 भादवि दर्ज है। इस अभियोग में भी अमित जाट, अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त तीनों अभियुक्त वॉछित चल रहें थे।

अभियुक्त अमित जाट का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	21/05	147/148/149/452/302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	25/05	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
3.	193/07	3(1)यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
4	198/07	3(1) यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
5	219/07	307 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
6	280/07	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
7	281/07	3(1) गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
8	86/08	110 जी दप्रस	ककोड	बुलन्दशहर
9	22/09	364/302/120बी भादवि व एससी/एसटी एक्ट	को0 देहात	बुलन्दशहर
10	155/11	307 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
11	22/12	110 जी दप्रसं	ककोड	बुलन्दशहर
12	206/12	3 यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
13	68/12	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
14	57/14	302/120बी/34 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
15	173/14	307 /504 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
16	213/14	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
17	103/15	2/3 गैगेस्टर एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
18	17/18	147/148/149/307 भादवि	खानपुर	बुलन्दशहर
19	378/18	25 आर्म्स एक्ट	नूहू	हरियाणा
20	582/19	171/302/25/54/59/148/149 भादवि एवं आर्म्स एक्ट	कैम्प पलवल	हरियाणा
21	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
22	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0देहात	बुलन्दश्हार

अभियुक्त सोनू उर्फ प्रमोद का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0 देहात	बुलन्दश्हार

अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैका का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0 देहात	बुलन्दश्हार

गिरफ्तार अभियुक्त अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त को थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर के मु0अ0सं0:501/20 धारा 147/148/149/302 /120बी/34 भादवि में दाखिल किया गया है और अग्रिम विधि कार्यवाही थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ : 03 मादक पद्वार्थ तस्कर 11 कुन्तल, 20 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) सहित गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ क्षेत्र से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अर्न्तराज्यीय गैंग के सरगना सहित 02 सदस्यों को 11 कुन्तल 20 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– सोनू कश्यप पुत्र गुडडू कश्यप नि0 ग्राम बोदर, थाना सोरो, जनपद कासगंज।
2– रामराज पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद नि0 होली मौहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा।
3– जितेन्द्र पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी गांव सारादतपुर, थाना सकीठ, जनपद एटा।

बरामदगीः

1. 11 कुन्तल 20 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपयें)
2. 01 ट्रक नं0–आरजे–11 जीए–4642
3. 04 अदद मोबाईल फोन
4. 2460 / – रूपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 27.08.2020, स्थानः– यमुना एक्सप्रेस वे टप्पल कट समयः–06.30 बजें

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ एंव पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को सर्विलान्स एवं मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से मादक द्रव्य पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है जो वहा से आने वाले ट्रको/कैन्टरों में लाये जा रहे सामान में छिपाकर लाया जा रहा है तथा दिल्ली एनसीआर के विभिन्न जिलो में गांजा बेचा जा रहा है।

इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ट्रक नं0–आरजे–11 जीए–4642 उड़ीसा गया है तथा वहॉ से भारी मात्रा में गांजा लेकर लखनऊ की तरफ से एक्सप्रेस–वे होते हुए दिल्ली एन0सी0आर0 की तरफ आ रहा है, जिसकी सप्लाई दिल्ली एनसीआर के विभिन्न जनपदों में की जानी है। सूचना पर यकीन करते हुए व उच्चाधिकारियों को

अवगत कराते हुए निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, कान्स0 आकाशदीप, कान्स0 भूपेन्द्र सिंह, कान्स0 प्रदीप धनकड, कान्स0 अंकित श्यौरान एंव कान्स0 विकास चौधरी की एक टीम एक्सप्रेस वे रवाना हुई तथा थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ की टीम को साथ लेकर दिनांकः 27.08.2020 को समय लगभग 06.30 बजे प्रातः एक्सप्रेस वे टप्पल कट से 03 अभियुक्तगणों को 11 कुन्तल 20 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि हम लोग उड़ीसा पहुँचे। वहॉ से ट्रक के अन्दर 270 कट्टे चावल की किनकी व भूसी भरी हुई हैं एंव इन कट्टों के पीछे 28 प्लास्टिक के बोरों में नशीला पदार्थ गॉजा भरा हुआ है, जिसको हम लोग उड़ीसा से लोड करके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जा रहे थे एंव नोएडा में जाकर हमें माल उतारने की सूचना अरविन्द ठाकुर से मिलनी थी, की आप लोगों ने पकड लिया। इस कारोबार को हमसे हमारा ट्रक मालिक सोहिल अहमद पुत्र मकबूल अहमद नि0 पुराना शहर, धोलपुर राजस्थान, हाल पता 231 गोलाचाह रेवाडी मौहल्ला, एटा उ0प्र0 व उसका साथी अरविन्द ठाकुर निवासी सिकन्दरा राऊ, हाथरस कराता हैं। इससे पहले भी हम तीन बार गॉजा ला चुके हैं जिनको हमने जनपद एटा में किसी अज्ञात स्थान पर उतारा था। इस बार हमको यह गॉजा गाजियाबाद ले जाने का आर्डर मिला था। हम लोग उड़ीसा राज्य के बिरहमपुर शहर से राधे नाम के व्यक्ति से लेकर इस गॉजे का अवैध व्यापार करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्व थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ पर मु0अ0सं0 438/2020 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद चित्रकूट/थाना बहिलपुरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनाक 27.08.2020 को थाना बहिलपुरवा व एण्टी डकैती की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टेकारी के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी पंकज उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर एवं टॉप–10 अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत थे। अभियुक्त थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2006 धारा 147/148/ 149/307/392/412/323 भादवि व 14 डीएए एक्ट में पिछले 14 वर्षो से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. पंकज उर्फ रमेश निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1. से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

जनपद एटा/थाना मारहरा

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनाक 26.08.2020 को थाना मारहरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुटैना नहर पुल के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी सत्यप्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत थे। अभियुक्त थाना पिलुआ में पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2019 धारा धारा 2/3 गैंगस्टर में वांछित चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मारहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सत्यप्रकाश निवासी ओढ़पुरा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस

जनपद अमेठी/थाना जामों

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनाक 26.08.2020 को थाना जामो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कॉर्पोरेशन बैंक के पास गोरियाबाद से घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी विनीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जामों पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2020 धारा 364/302/201/34/147 भादवि में वांछित चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जामो पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विनीत निवासी नया का पुरवा मजरे अहुरी थाना मोहगंज जनपद अमेठी।

जनपद मेरठ/थाना सरूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 26/27.08.2020 की रात्रि थाना सरूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान खिवाई करनावल मार्ग पर बिजली घर के पास खेत में बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त युसूफ घायल हो गया, जिसे एक अन्य अभियुक्त शकील सहित गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के थाना सरूरपुर पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. युसूफ निवासी कस्बा खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
2. शकील निवासी कस्बा खिवाई सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना मुण्डाली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 को थाना मुण्डाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जिसौरी गॉव में बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त राशिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के थाना मुण्डाली पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुण्डाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राशिद निवासी ग्राम साफियाबाद लोटी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सम्भल/थाना असमोली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न बोर के 11 बने अवैध शस्त्र**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना असलोमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम भैसोड़ा को जाने वाले रास्ते पर के पास अधबनी इमारत में घेराबंदी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त सुऐव को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से विभिन्न बोर के 11 बने अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्ज आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी व गैंगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुऐव निवासी मुण्डी मिलक थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1. 02 अवैध बन्दूक 12 बोर
2. 01 अवैध पोनिया 315 बोर
3. 06 अवैध तमंचा 315 बोर
4. 02 अवैध तमंचा 12 बोर
5. 315 बोर के 12 कारतूस
6. 12 बोर के 06 कारतूस
7. भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद सम्भल/थाना बनियाठेर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न बोर के 10 बने व 01 अधबना अवैध शस्त्र**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना बनियाठेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के आधार पर जंगल ग्राम मऊअस्सू पर घेराबंदी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त 1.मौ0शफी, 2.कामिल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से विभिन्न बोर के 10 बने व 01 अधबना अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्ज आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बनियाठेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मौ0शफी निवासी मौ0बंजारी कुआ कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।
2. कामिल निवासी मौ0बंजारी कुंआ कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1. 06 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 04 अवैध तमंचा 12 बोर
3. 01 अधबना शस्त्र, 06 खोखा कारतूस
4. भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **लूट की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 56 हजार 645 रू0 नगद**
- **बैंक की पासबुक, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 को थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टाउनशिप पुल के नीचे आगरा से आने वाली साइड सर्विस

रोड़ पर घेराबंदी कर 04 अभियुक्तों 1.इरफान, 2.आमिर, 3.गुलफाम, 4.फतेह मौहम्मद को गिरफ्तार किया गया एवं 01 बाल अपचारी भी पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 56 हजार 645 रू0 नगद, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.08.2020 को वादी की लिखित सूचना पर थाना रिफाइनरी मथुरा पर मु0अ0सं0 222/2020 धारा 395 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद नकदी आदि उक्त लूट की घटनस से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. इरफान निवासी मनोहर पुरा भरतपुर गेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।
2. आमिर निवासी ग्राम सहारा थाना अच्छनेरा आगरा हाल पता राधेश्याम कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।
3. गुलफाम निवासी ग्राम मउपुर पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ हाल पता राधेश्याम कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।
4. फतेह मौहम्मद निवासी ग्राम जरारा थाना सुरीर मथुरा हाल पता सुखदेव नगर थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1. लूट के 56 हजार 645 रू0 नगद
2. बैंक की पासबुक
3. आधार कार्ड
4. घटना में प्रयुक्त कार आदि

<u>जनपद गाजीपुर/थाना नोनहरा</u>

• लूट की घटना का अनावरण, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट की कार

• 07 मोबाइल फोन

• विभिन्न बोर के 02 अवैध तमंचे मय कारतूस आदि बरामद

दिनांक 26.08.2020 की सांय थाना नोनहरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कादीपुर पेट्रोल पम्पक के आगे घेराबन्दी कर 05 अभियुक्तों 1.विशाल कुमार, 2.शुभम, 3.विक्कू कुमार, 4.अरविन्द्र, 5.अनूप को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की कार, 07 मोबाइल फोन, विभिन्न बोर के 02 अवैध तमंचे मय कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि वादी की लिखित सूचना पर थाना नोनहरा पर मु0अ0सं0 233/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद कार आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नोनहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. विशाल कुमार निवासी शिवदासपुर थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी।
2. शुभम निवासी पाण्डेयपुर पट्टी थाना मुफस्सिल जनपद बक्सर(बिहार)।
3. विक्कू निवसी चक्की थाना ब्रह्मपुर जनपद बक्सर(बिहार)।
4. अरविन्द उर्फ राणा निवासी नारायणपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर।
5. अनून निवासी केयर एण्ड कैरियर बिन्द बस्ती शिवदासपुर थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी।

<u>बरामगदी</u>

1. लूट की कार
2. 07 मोबाइल फोन
3. 01 अवैध तमंचा 32 बो मय कारतूस
4. 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस ।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **एटीएम क्लोनिंग कर धोखाधड़ी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **94,000 रू0 नगद, एटीएम क्लोनिंग करने के उपकरण, 13 एटीएम कार्ड, 01 लैपटाप**
- **01 एटीएम कार्ड क्लोनिंग मशीन (स्कीमर डिवाइस), 05 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 को थाना गौरीगंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम गौरीगंज के पास से चार अभियुक्तों 1—लव कुमार उर्फ बृजेश 2—आकाश 3—धनंजय कुमार 4—धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 94,000 रू0 नगद, एटीएम क्लोनिंग करने के उपकरण, 13 एटीएम कार्ड, 01 लैपटाप, 01 एटीएम कार्ड क्लोनिंग मशीन (स्कीमर डिवाइस), 05 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने एटीएम क्लोनिंग कर रूपये की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लव कुमार उर्फ बृजेश निव ग्राम सुंदरी पो0 चाके डिहरा थाना भगवानपुर कैमूर भुआ बिहार।

2—आकाश नि0 कुम्भी आइमा थाना उदयपुर प्रतापगढ़।

3—धनंजय कुमार नि0 गोबरछ थाना भगवानपुर कैमूर भुआ बिहार।

4—धर्मेन्द्र नि0 ग्राम हंलुआ नरहर थाना सैयद रजा चंदौलीं

बरामदगी

1— 94,000 रू0 नगद, एटीएम क्लोनिंग करने के उपकरण।

2—13 एटीएम कार्ड, 01 लैपटाप, 01 एटीएम कार्ड क्लोनिंग मशीन (स्कीमर डिवाइस)।

3—05 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **लूट की घटना का अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख रू0 कीमत की लूट की 03 सोने की चैन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलेसर रोड ककररू कोठी चौराहा के पास से दो अभियुक्तों 1—रिजवान उर्फ मुन्ना 2—आशिफ उर्फ आरिफ 3—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 लाख रू0 कीमत की लूट की 03 सोने की चैन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.08.2020 को जलेसर रोड से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 398/2020 धरा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिजवान उर्फ मुन्ना नि0 4/27 तकिया वजिरशाह कोत0 आगरा।

2—आशिफ उर्फ आरिफ नि0 संतकबीर स्कूल के पास ख्वासपुरा शाहगंज फिरोजाबाद।

3—राजेश नि0 कुर्रीकूपा थाना लाइनपार फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—03 लाख रू0 कीमत की लूट की 03 सोने की चैन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना क्वार्सी

- **13 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 17 चार पहिया वाहन व चोरी की 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना क्वार्सी व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्वार्सी क्षेत्र से 13 अभियुक्तों 1—लविश उर्फ शेरू 2—विजेन्द्र उर्फ पप्पू 3—अनिल 4—अनूप 5—प्रवेश उर्फ सेठी 6—हसरत अली 7—शमीम 8—सलमान 9—राजेश 10—माजिद 11—अल्लानूर 12—महेश 13—आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों कब्जे/निशादेही पर चोरी के 17 चार पहिया वाहन व चोरी की 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने वाहन चोरी कर बेचना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना क्वार्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लविश उर्फ शेरू नि0 गीता विहार कालोनी थाना क्वार्सी अलीगढ़।
2—विजेन्द्र उर्फ पप्पू नि0 गीता विहार कालोनी थाना क्वार्सी अलीगढ़।
3—अनिल नि0 कलोर थाना दन्नाहार मैनपुरी।
4—अनूप नि0 कंजहार थाना दन्नाहार मैनपुरी।
5—प्रवेश उर्फ सेठी नि0 सिरासोल थाना बिल्सी बदायूं।
6—हसरत अली नि0 बरोला नहर पुल के पास थाना जवां अलीगढ़।
7—शमीम नि0 सरायनूर थाना अतरौली अलीगढ़।
8—सलमान नि0 नगला भूरा थाना सासनी हाथरस।
9—राजेश नि0 हनुमान गली थाना सिटी करनाल हरियाणा।
10—माजिद नि0 ममरा थाना गुलावटी बुलन्दशहर ।
11—अल्लानूर नि0 बरौली थाना जवां अलीगढ़।
12—महेश नि0 राज बिहार कालोनी थाना क्वार्सी अलीगढ़।
13—आरिफ नि0 बबराला रोड थाना बहजोई सम्भल।

बरमादगी

1— चोरी के 17 चार पहिया वाहन व चोरी की 01 दो पहिया वाहन आदि।

———